भारत में आतंकवाद और उसके प्रचार की नवीन विधियाँ

डॉ0 निवेदिता कुमारी

विभागाध्यक्षा व एसो0 प्रोफे0, राजनीति विज्ञान विभाग, जी0डी0एम0जी0(पी0जी0) कॉलिज, मोदीनगर

सारांश

आतंकवाद लीग ऑफ नेशन्स के एजेण्डे में 1934 से शामिल रहा है। राजनैतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा के सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित प्रयोग को आतंकवाद के नाम से परिभाषित किया जा सकता है। आज के युग में यद्यपि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है, लेकिन आतंकवाद को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित करने हेतु अभी तक किए गए सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हैं, जिसके दो मुख्य कारण है। पहला, किसी देश के आतंकवादी को दूसरे देश में "स्वतन्त्रता सेनानी" के रुप में देखा जा सकता है, दूसरा कारण है कि कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों में किए जा रहे आपराधिक आतंकवादी कृतयों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की स्वीकार्य परिभाशा के संबंध में राजनीतिक इच्छा शक्ति का स्पष्ट अभाव है।

शोधपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

डॉ0 निवेदिता कुमारी, ''भारत में आतंकवाद और उसके प्रचार की नवीन विधियाँ'',
RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 134-141
http://anubooks.com/?page_id=2004
Artcile No. 19(RP568)

प्रस्तावना

'अपनी मांगे मनवाने या राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग करके आतंक, डर और दहशत का माहौल पैदा करना आतंकवाद है। जिससे अधिकारियों को मजबूर कर ब्लैकमेल किया जा सके।'

आतंकवाद युद्ध का ऐसा तरीका है जिसमें उन लोगों पर भी आक्रमण किया जाता है जिन पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।

प्रस्तुतशोध पत्र में आतंकवाद के समझने के लिए इसे चार भागों में बांटा है–

1. आंतकवाद की अवधारणा का वर्गीकरण

आतंकवाद को दो भागों में बांटा जा सकता है विदेशी राज्य कर्ताओं द्वारा आतंकवाद और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद।

- **विदेशी राज्य कर्ताओं द्वारा आतंकवाद**

जब कोई सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अपने लोगों या अन्य देश के लोगों के विरुद्ध आतंकवाद में लिप्त हो तो इसे राज्य कर्ताओं का आतंकवाद कहा जाता है। किसी अन्य देष के विरुद्ध आतंकवाद चाहे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सहायता के लिए हो या उस देश को अस्थिर करने के लिए उसे "विदेशी राज्य समर्थित आतंवाद" की श्रेणी में रखा जा सकता है।

- **आई.एस.आई. (विदेशी राज्य कर्ता) की कार्य प्रणाली और उद्देश्य**

- आतंकवाद के जरिए भारत में हिंसा फैलाना।
- नकली भारतीय मुद्रा व अन्य साधनों से भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना।
- भारत में सभी प्रकार के आतंकवादियों को हथियारों और विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करना।
- भारत के भीतर सरकोर विरोधी कार्य कर रहे ग्रुपों का फायदा उठाने के लिए उन्हें वित्तीय रसद और सैन्य सहायता प्रदान करना।
- इस्लामी कट्टरपंथी गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करना।
- देश को विभाजित और कमजोर करने के लिए भारत में साम्प्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाकर अराजकता फैलाना।

2. भारत में आतंकवाद की श्रेणियां

आतंकवाद को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–उक्त में से अंतिम दो का विदेशी राज्य कर्ताओं से कोई संबंध नहीं है। जम्मू और कश्मीर का आतंकवाद कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वजह से है।

- भीतरी आतंकवाद
- जम्मू कश्मीर का आतंकवाद
- पूर्वोत्तर विद्रोह

- वामपंथी उग्रवाद

भारत में महत्वपूर्ण आतंकवादी हमले

हम कह सकते है कि पिछले दो दशकों में आई एस आई समर्थित आतंकवादी, जो पहले पंजाब और जम्मू कश्मीर तक सीमित था वह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है। इसमें से कुछ प्रमुख घटनायें निम्नलिखित है–

- 1993 में मुम्बई में हुए बम विस्फोट जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए।
- ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन बम विस्फोट जिसमें 33 लोग मारे गए।
- तालिबान के सक्रिय सहयोग से हरकत–उल–मुजाहिदीन द्वारा एयर इंडिया के जहाज ए आई 814 का अपहरण।
- श्री लाल कृष्ण अडवानी को लक्ष्य बना कर 1998 में कोयंबटूर में उनकी चुनाव रेली में बम विस्फोट जिसमें 58 लोग मरे गए और 200 लोग घायल हुए।
- 2000 में लाल किले पर हमला।
- 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला।
- 13 दिसम्बर 2001 को लश्कर–ए–तयैबा और जैश–ए–मोहम्मद द्वारा भारतीय संसद पर हमला।
- लश्कर–ए–तयैबा और जैष–ए–मोहम्मद द्वारा गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर हमला।
- 2003 में मुम्बई में अलग–अलग हमलों में 68 लोग मारे गए।
- 2005 में दिवाली से दो दिन पहले दिल्ली में हुए बम विस्फोटों में 70 लोग मारे गए।
- 2006 में लश्कर–ए–तयैबा द्वारा किए गए विस्फोटों में 209 लोग मारे गए।
- 2006 में मालेगांव में राइट विंग आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में 37 लोग मारे गए।
- 2007 में इंडियन मुजाहीदिन द्वारा लखनऊ, फैजाबाद और और बनारस में, अदालत परिसरों में किए गए आक्रमण।
- 2007 में राइट विंग आतंकवादियों द्वारा समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ विस्फोट।
- 2007 में रामपुर में सी.आर.पी.एफ. कैम्प पर हमला।
- 2008 में इंडियन मुजाहीदिन द्वारा जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और दिल्ली में किए गए विस्फोट जिसमें 115 लोग मारे गए।
- लश्कर–ए–तयैबा द्वारा मुम्बई में किया गया 26/11 का हमला जिसमें 171 लोग मारे गए।
- 2010 में आई एम द्वारा पुणे में जर्मन बेकरी में कि गए बम विस्फोट, जिसमें 17 लोग मारे गए।
- 2011 में आई एम द्वारा मुम्बई में किए गए सिरियल बम विस्फोटों में 26 लोग मारे गए।

- 2011 में आई एम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय पर किए गए हमले में 12 लोग मारे गए।
- 2013 में आई एम द्वारा हैदराबाद में किए गए बम विस्फोटों में 16 लोग मारे गए।
- 2013 में आई एम द्वारा बोध गया में किए गए विस्फोट।
- 2014 में पटना चुनावी सभा में विस्फोट।
- जनवरी 2016 में पठानकोट, एयर बेस पर हमतला।
- सितम्बर 2016 में उरी में सेना पर हमला।

इनसे यह स्पष्ट है कि आतंकवादियों ने भारत की राजनीतिक राजधानी, सैनिक ठिकाने,वित्तीय राजधानी, सूचना प्रौद्योगिकी एंव वैज्ञानिक हबों, धार्मिक एंव पर्यटक स्थलों को निशाना बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

आतंकवाद के प्रसार के कारण व विधियाँ

3. आतंकवाद के वित्तपोषक स्त्रोत

भारत कई प्रकार के आंतरिक सुरक्षा के खतरों का सामना कर रहा है। आतंकवाद में लिप्त समूह विभिन्न स्त्रोतों, जैसे नकली मुद्रा, जबरन वसूली, अपराध, तस्करी इत्यादि से धन एकत्रित करते हैं। आई.एम.आई. प्रायोजित आतंकवाद व अन्य प्रकार के आतंकवाद के वित्तपोषक स्त्रोत निम्नवत् हैः

भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठन

लश्कर–ए–तैयबा

एलईटी का तर्जुमा "खालिस लोगों की आर्मी" है। दक्षिण एशिया में यह काफी शक्तिशाली और बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक है। यह मुख्यतः पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से संचालित होता है। इसकी स्थापना 1990 में हाफिज सईद न की थी। लष्कर–ए–तैयबा ने भारत में सैनिक एंव असैनिक ठिकानों पर आक्रमण किया। 2001 में भारत की संसद और 2008 में मुम्बई में भी एल.ई.टी. द्वारा हमले किए गए थे। एल.ई.टी. भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।

जैश–ए–मोहम्मद

हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा अपहरण किए गए इण्डियन इयरलाइन्स के विमान आई सी 814 के यात्रियों के बदले दिसम्बर 1999 में जेल से रिहा किए गए आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने हरकत उल मुजाहिदीन संगठन में हुए विभाजन के बाद मार्च 2000 में जैश–ए–मोहम्मद की स्थापना की। अधिकतर सदस्य एचयूएम को छोड़कर अजहर के नव स्थापित ग्रुप में शामिल हो गए। 2001 में नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हुए हमले में एल.ई.टी. के साथ जेईएम भी शामिल था।

हिजबुल मुजाहिदीन

यह कश्मीरी आतंकवादी ग्रुप है जो 1989 में बनाया गया था। वर्तमान में इसका नेता सैयद सलाहुदीन के उपनाम से आमतौर पर पाक अधिकृत कश्मीर में रहता है।

स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट आफ इण्डिया

1977 में स्थापित सिमी एक प्रतिबंधित इस्लामिक छात्र संगठन है। सिमी का मिशन पष्चिम भौतिकवाद संस्कषति के प्रभाव से 'भारत की मुक्ति' और मुस्लिम समाज को मुस्लिू आचार संहिता के अनुसार रहने के लिए प्रेरित करना था। परंतु सिमी अस्सी और नब्बे के दशक में हिन्दू और मुस्लिम ग्रुपों के बीच साम्प्रदायिक दंगों और हिंसा का पृष्ठभूमि में आतंकवादी और उग्रवादी संगठन बन गया और कट्टरपंथी रुख अपना लिया। इसका आदर्श वाक्य पूरे भारत को इस्लाम में बदलना बन गया। 2001 में जब इसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो भारत सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर दिया।

हरकत उल जिहाद अल इस्लामिक

यह एक पाकिस्तान एंव बांग्लादेश आधारित बहुत पुराना इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान बांग्लादेश व भारत में काम कर रहा है। 2006 में बनारस में और 2011 में दिल्ली में हुए बम विस्फोटों की जिम्मेवारी हुजी ने ली है। अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी के बाद हुजी ने अफगानिस्तान से अपनी गतिविधियों का संचालन प्रारम्भ किया है। इसकी बंग्लादेश की यूनिट 2002 में बनाई गई माना जाता है कि यह तालिबान द्वारा समर्थित है।

इण्डियन मुजाहिदीन

यह भारत आधारित एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जिसने भारत के कई असैनिक ठिकानों पर आक्रमण किए। ऐसी सूचना है कि पिछले दशक में हुए कई विस्फोटों की जिम्मेवारी आईएम ने ली है। पुलिस जांचों में पाया गया है कि यह संगठन पाकिस्तान आधारित लश्कर–ए–तैयबा का अग्रभाग है। वास्तव में, आईएसआई, एलईटी एंव हुजी ने आईएम के गठन को प्रेरित किया है ताकि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की लिप्ता को छुपाया जा सके और अन्य देशों में यह प्रचारित किया जा सके कि भारत में आतंकवाद, देश में मुस्लिमों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण पैदा हुआ है। 2010 में आईएम को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और इस पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इस संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। इसका दक्षिण एशिया को "इस्लामिक राज्य" सृजित करना ही एकमात्र उद्देश्य था। 2007 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी और फैजाबाद के न्यायालय परिसरों में विस्फोट करने के पश्चात यह सुर्खियों में आया था।

यह भ्रमित युवा मुसलमानों, एक छोटक अपराधी से लेकर उच्च वेतन प्राप्त सॉफ्टवेयर पेशेवरों की विस्तृत श्रेणी को भर्ती करताहै। हाल ही में इसके एक बड़े नेता यासीन भटकल को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है।

स्लीपर सेल

स्लीपर एजेंटों का पृथक् ग्रुप जो तब तक शिथिल रहता है जब तक उन्हें सक्रिय आदेश नहीं मिलता या सक्रिय होने का निर्णय नहीं लिया जाता। स्लीपर सेल एक जासूसों का ग्रुप है जिसे लक्षित देश या संगठन में रखा जाता है, इसे तुरंत कार्य नहीं करना होता बल्कि वक्त पड़ने पर इसे कार्य में लगाया जाता है।

4. आतंकवाद का सामना करने के लिए संस्थागत ढांचा

2008 से पहले आतंकवाद का मुकाबला मुख्यतः राज्य पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र बलों की मदद से आसूचना ब्यूरों द्वारा किया जाता था। आई.आी. ने विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय का कार्य करने वाली आसूचना एजेंसी की भूमिका निभाई जांच करने और कार्यवाही करने का कार्य राज्य पुलिस द्वारा किया जाता था। इन्दिरा गांधीह की हत्या के बाद विशेष स्थितियों में आतंकवाद के खतरों से निपटने करने के लिए एक विशेष कमांडो बल एल.एस.जी. का गठन किया गया। इन कमाण्डों को अपहरण और आतंकवादी कार्यवाहीयों को रोकने के लिए अधिक खतरे वाले कार्यों को करने का प्रशिक्षण दिया गया।

यद्यपि 26/11 हमले के दौरान मुम्बई पुलिस और एन एस जी द्वारा की गई कार्रवाई की सर्वत्र सराहना की गई है? तथापि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया और बलों द्वारा प्रयोग में लाए गए हथियारों, प्रशिक्षण और उपलब्ध आसूचना के अनुसार की गई कार्रवाई के बीच समन्वय में गम्भीर खामियां नजर आई इसलिए 26/11 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। भारत सरकार ने एनआईए, नेटग्रिडद्व एनसीटीसी, जैसे कई नई संस्थानों के सृजन तथा मै।क (एम.एस. सी) के पुनर्गठन की घोषणा की और विधि सम्मत कई कदम भी उठाए गए।

कानूनी रूपरेखा–

आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष अधिनियम टाडा (टीडीए) था जोकि इदिरा गांधी की हत्या के बाद लागू किया गया। परन्तु टाडा के दुरूपयोग किए जाने के आरोप लगने के बाद पोटा भीतरी आंतकवाद को भी कई बार सीमा पार से पड़ोसी देषों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए इन्हें विदेशी आंतकवाद माना जा सकता है। 1971 की लड़ाई में हारने के बाद से भारत में खून–खराबा करवाना पाकिस्तान की नीति का एक भाग है। इससे उसकी भारत के साथ परम्परागत युद्ध करने की अक्षमता जाहिर होती है। आंतकवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार आदि दिए जाते हैं और उसके बाद नियन्त्रण रेखा या नेपाल के रास्ते भेजकर भारत में घुसपैठ करा दिया जाता है।

इनमें यह स्पष्ट है कि आंतकवादियों ने भारत की राजनीतिक राजधानी सैनिक ठिकानों वित्तीय राजधानी, सूचना प्रौगिकी एवं वेज्ञातनिक हवों, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को निशाना बनाने पर अपना ब्यान केन्द्रित किया है। अधिनियम बनाया गया। वर्ष में पोटा को भी समाप्त कर दिया गया। 26/11 मुम्बई हमले के बाद यूएपीए संशोधन अधिनियम दिसम्बर 2008 में लागू हुआ और 2012 में इसमें और संशोधन किए गए।

1. आंतकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम या टाडा अधिनियम पंजाब आंतकवाद की पृष्ठभूमि के तहत टाड़ा अधिनियम एक आंतकवादीरोधी कानून था जो पूरे भारत में 1985 से 1995 के बीच अस्तित्व में था। (1987 में इसमें संषोधन किया गया)। दुरूपयोग के व्यापक आरोप लगने के कारण 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। आंतकवाद को परिभाषित करने और आंतकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया यह पहला आंतकवाद विरोधी कानून था। आंतकवाद एवं समाज विघटन की गतिविधियों

का निपटारा करने के लिए कानून लागू करने वाले एंजेसियों को इस कानून में व्यापक शक्तियां प्राप्त थी। 24 घंटे के भीतर बंदी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेष करने के लिए पुलिस बाध्य नहीं थी। बिना चार्जशीट फाइल किए आरोपी को एक वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था। पुलिस अधिकारी के सामने किए गए अपराध की स्वीकृत न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर मान्य थी और अपने का बेकसूर साबित करने की जिम्मेवारी भी आरोपी की थी। इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई हेतु विशिष्ट न्यायालय बनाए गए थे। सुनवाई गुप्त रूप से हो सकती थी और गवाहों की पहचान गुप्त रखी जाती थी। अधिनियम की धारा 7ए के तहत पुलिस अधिकारी को आरोपी की सम्पति को कुक्र करने के भी अधिकार थे।

2. आंतकवाद निावरण अधिनियम 2002 (पोटा) – पोटा एक आंतक विरोधी अधिनियम है जिसे भारत की संसद ने 2002 में बनाया। यह अधिनियम भारत में कई आंतकवादी हमले, विशेष कर संसद पर हमला होने के बाद बना। इसके अनुबंध टाडा के अनुबंधों के अनुरूप हैं, इस कानून के अनुसार आरोपी को न्यायालय में चार्जशीट पेश किए बिना 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। इसके तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों गवाह की पहचान गुप्त रख सकती थी। पुलिस के सामने की गई अपराध की स्वीकृति को जुर्म की अभिस्वीकृति माना जाएगा। नियमित भारतीय कानून के तहत व्यक्ति न्यायालय में अपराध स्वीकृति से मुकर सकता है लेकिन पोटा के तहत नहीं। टाडा से भिन्न, इसमें एहतियाती नजरबंदी का कोई उपबंध नहीं था।

26/11 के बाद परिवर्तन पहले से विद्यमान गैर–कानूनी निवारण अधिनियम में कई सुंसंगत संशोधन किए गए।

1. गैर–कानूनी गतिविधियां (निवारण) संशोधन अधिनियम (यू.ए.पी.ए.)

व्यक्तियों और संस्थाओं की गैर–कानूनी गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों के निवारण के लिए यूपा एक प्रभावशाली अधिनियम है। यूपी 1967 में बना और 1969, 1972, 1986, 2004, 2008 और 2012 में इसमें संशोधन किए गए। 2012 में किए गए संशोधन में यू0पी0 में आंतकवादी कार्यो की परिधि में आर्थिक अपराधों को भी शामिल किया गया। 'आंतकवादी कार्य' की परिभाषा को विस्तृत किया गया है, इसमें देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले अपराधों, हथियारों के प्रापण, आंतकवादी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करना, भारतीय नकली मुद्रा तैयार करना आदि शामिल है।

न्यायलयों को अपराध में लिप्त भारतीय नकली मुद्रा के बराबर की सम्पत्ति को जब्त करने या आतंकवादी अपराध से कमाई गई सम्पत्ति को जब्त करने की भी शक्तियां प्राप्त हुई हैं।

2. एन.आई.ए. अधिनियम, 2008 एंव विशेष एन.आई.ए. न्यायालय

2008 में संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार एन आई ए का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है इससे केन्द्र देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले देश की अखंडता और एकता को खतरे, बम विस्फोटों, हवाई जहाज या समुद्री जहाज के

अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। आतंकवादी हमलों के अतिरिक्त जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध (गिरोहों द्वारा जबरन धन वसूलना), जहाज का अपहरण, परमाणु ऊर्जा अधिनियम का उल्लंघन, सामूहिक विनाशक हथियार अधिनियम से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एन.आई.ए. अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एन.आई.ए. पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न विशिष्ट न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। इन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है। इनकी अध्यक्षता उस क्षेत्र के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा तैनात न्यायाधीश द्वारा की जाती है। किसी विशेष राज्य की प्रवृत्त परिस्थितियों के आलोक में यदि ऐसा करना न्याय के हित में हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष–न्यायालय को हस्तान्तरित करने का अधिकार है चाहे न्यायालय राज्य के भीतर हो या राज्य से बाहर। इन्हें किसी भी प्रकार के अपराध की सुनवाई करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है।

इन न्यायालयों द्वारा मामलों की सुनवाई प्रतिदिन सभी कार्य दिवसों में होती है और आरोपी के विरुद्ध अन्य न्यायालयों (विशेष न्यायालयों को छोड़कर) में चल रहे मामलों से छुट दी जाती है। विशेष न्यायालय के किसी फैसले, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। वर्तमान में 38 विशेष एन.आई.ए. न्यायालय है। राज्य सरकारों को अपने राज्यों में एक या ज्यादा ऐसी विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्तियां दी गई हैं।

सन्दर्भित स्रोत–सूची

1. *आनन्द अभिजीत, ''एन0आई0ए0 गोइंग नोवेयर'', द स्टेटसमैंन, 24 जुलाई 2009, नई दिल्ली।*
2. *एलैक्सपेरी, ''हॉऊ मच टू टिप द टैररिस्ट'', टाइम मैग्जीन, 26 सितम्बर 2005*
3. *डॉ0 जेफरी रिकार्ड, ''आंतकवाद के खिलाफ वैष्विक युद्ध''।*
4. *हॉफमैन ब्रुस, ''अन्दर आंतकवाद,'' कोलाम्बिया विश्वविद्यालय प्रेस, 1998*
5. *इकबाल अहमद, ''आंतकवाद पर सीधे बात–चीत'', जनवरी 2002 मासिक समीक्षा*
6. *पॉल विलकिसन, ''मीडिया और आंतकवाद'', 1997, लन्दन*
7. *अनलाफुल एक्टीविटिज (प्रिवेन्शन) एक्ट, 1967*
8. *पाण्डेय पंकज कुमार, ''साइबर जासूसी में जुटे आंतकी,'' हिन्दुस्तान, 13 मई 2016*
9. *सैकेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन –2005* arc.gov.in
10. *गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लोक सभा स्टैण्र्ड*
11. *इण्डियन पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक जनरल, जुलाई 2016, नई दिल्ली।*
12. *नेटग्रिड नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड–म्रूनल* mural.org>2012/97polity natrid
13. *इटस टसइम टू गैट सीरियस एवाउट सोशल मीडिया टेरेरिज्म, टेरेरिज्म एण्ड सोशल मीडिया/*en.mn.wikipedia.org/